POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.07.2025

1.वृद्ध महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 3,29,70,000 रूपये की धोखाधड़ी करने वालें प्रकरण में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 03 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 04.07.2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अभिसूचना संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए वादिया को डिजिटल अरेस्ट कर 3,29,70,000 रूपये की धोखाधड़ी करने वालें 02 शातिर साइबर अपराधियों को दिल्ली व 01 शातिर साइबर अपराधी को नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया। घटना से संबंधित 17,00,000 रूपये फ्रीज कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अज्ञात फोन नम्बर द्वारा वादिया के लेंडलाइन नम्बर पर कॉल कर वादिया को बताया गया कि उनके आधार कार्ड का उपयोग करते हुए बैंक खाते खोले गये जिनका प्रयोग जुआ व अवैध हथियार की खरीद करने में किया गया है। अभियुक्त द्वारा वादिया को गिरफ्तारी का भय दिखाकर 'डिजिटल अरेस्ट' कर 3,29,70,000 रूपये की धोखाधड़ी की गयी थी, जिसके संबंध में वादिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 30.06.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण--

1. अभियुक्त दुपिन्दर सिंह उर्फ गिन्नी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपने बैंक खाते को सह अभियुक्त विनय को दे दिया था, जिस पर धोखाधडी से संबंधित धनराशि प्राप्त की जाती थी। उक्त धनराशि का 15 प्रतिशत अभियुक्त दुपिन्दर सिंह को प्राप्त होता था। अभियोग से संबंधित 93 लाख रुपये अभियुक्त दुपिन्दर सिंह उर्फ गिन्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए है।
2. अभियुक्त विनय समानिया ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह दुपिन्दर सिंह का बैंक खाता, 25 प्रतिशत कमीशन पर अपने अन्य साथियों को दे दिया करता था।
3. अभियुक्त मंदीप सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपने बैंक खाते पर धोखाधड़ी की धनराशि मंगाने के लिए 50 हजार रुपये अपने एक साथी से लिये व उसे अपना बैंक खाता दे दिया। अभियुक्त मंदीप सिंह के खाते में अभियोग से संबंधित 71 लाख रुपये ट्रांसफर हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. दुपिन्दर सिंह उर्फ गिन्नी पुत्र देविन्दर सिंह निवासी ललिता पार्क थाना लक्ष्मी नगर दिल्ली।
2. विनय समानिया पुत्र राजेन्द्र निवासी करावल नगर, थाना करवाल, नगर दिल्ली।
3. मंदीप पुत्र हवा सिंह निवासी खनक भिवानी हरियाणा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 63/2025 धारा 308(2)/318(4)/319(2) बीएनएस व 66-डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु-:-

1. साइबर से संबंधित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर- 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. डिजिटल अरेस्ट- यदि आपके पास कोई व्यक्ति स्वयं को सीबीआई अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ED का अधिकारी, नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी अथवा इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर कॉल करता है, उसके बाद आपको स्काइप/ zoom/ ऐप डाउनलोड करा कर वीडियो कॉल करने के लिए कहता है और आपका आईडी अवैध मादक पदार्थ के विक्रय में हवाला जैसे कारोबार/ money laaundering/ smuggling/ fake import-export में संलिप्त पाए जाने की बात कह कर डराता है, आपके विरुद्ध हुई FIR दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाता है या कोर्ट सुनवाई करवाता है। तो यह व्यक्ति साइबर अपराधी है आपको डरना या भयभीत नहीं होना है इसकी तुरंत शिकायत अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में करनी है। साइबर अपराधी के कहने पर किसी भी खाते में कोई भी धनराशि ट्रांसफर नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप साइबर ठगी के शिकार बन सकते हैं।